[illegible] उपस्थित है
P.O. Sb. [illegible] व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 22/02/21 को पेश हो।

[illegible] उपस्थित है
P.O. Sb. अवकाश पर/[illegible] कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 25/02/21 को पेश हो।

प्र[illegible] पेश हुई/वकील [illegible] उपस्थित है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 26/02/21.. को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 02 पर विधिवत तामील हो चुकी है। प्रकरण रिकॉर्ड दुरूस्ती का है। प्रकरण में वकील वादीगण ने निवेदन किया कि ग्राम सिंगरावट तहसील धोद के खसरा सं. 878 रकबा 3.0100 हेक्टेयर में प्रार्थी सं 01 का नाम कानाराम पुत्र श्योपतराम अंकित है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी सं. 01 का सही नाम कन्हैयालाल पुत्र शिवदत्त है। प्रार्थी सं. 01 के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजों में प्रार्थी सं. 01 का नाम कन्हैयालाल पुत्र शिवदत्त अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी सं. 01 का नाम कानाराम पुत्र श्योपतराम के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र शिवदत्त दुरूस्त किया जावें। ग्राम सिंगरावट तहसील धोद के खसरा सं. 878 रकबा 3.0100 हेक्टेयर में प्रार्थी सं 02 का नाम जगदीश पुत्र श्योपतराम अंकित है, जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी सं. 02 का सही नाम जुगलकिशोर पुत्र शिवदत्त है। प्रार्थी सं. 02 के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजों में प्रार्थी सं. 02 का नाम जुगलकिशोर पुत्र शिवदत्त अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी सं. 02 का नाम जगदीश पुत्र श्योपतराम के स्थान पर जुगलकिशोर पुत्र शिवदत्त दुरूस्त किया जावें।

तहसीलदार, धोद से प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट के मुताबिक दुरूस्ती किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया। बहस वकील प्रार्थीगण से सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "कानाराम पुत्र श्योपतराम के बजाय कन्हैयालाल पुत्र शिवदत्त व जगदीश पुत्र श्योपतराम के बजाय जुगलकिशोर पुत्र शिवदत्त नाम किये जाने की अनुशंषा की जाती है।" अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सिंगरावट तहसील धोद के खसरा सं. 878 रकबा 3.0100 हेक्टेयर में प्रार्थी सं 01 का नाम कानाराम पुत्र श्योपतराम के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र शिवदत्त तथा प्रार्थी सं. 02 का नाम जगदीश पुत्र श्योपतराम के स्थान पर जुगलकिशोर पुत्र शिवदत्त दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को [illegible]। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.02 10:20:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर